न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील सं0–125/2012 अन्तर्गत धारा 23 राज0उप0(ई0न0परि0भूमि आवंटन) नियम 1975 आदू पुत्र लेखूराम जाति जाट निवासी हरदासवाली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

–– अपीलांट

बनाम

1. आदराम पुत्र कानाराम जाति नाई निवासी खाराखेड़ा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व।
3. हेतराम पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी हरदासवाली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
4. जसू पुत्र लेखूराम जाति जाट निवासी हरदासवाली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

–– रेस्पोडैन्टस

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 04.06.12 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रावतसर
प्र0सं. 54/2007 प्रकरण स्मालपैच आवंटन आदराम

उपस्थित :–
श्री विजय कौशिक अधिवक्ता अपीलांट
श्री इन्द्राज गोदारा अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1
श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 2

निर्णय दिनांकः–25.05.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय के समक्ष तहसीलदार रावतसर से पटवार मण्डल हरदासवाली के चक 6 जेबीडी के प.न. 35/5 कि.न. 3, 8, 13 की 0.759 है0 अनकमाण्ड भूमि स्माल पैच मे आवंटन हेतु रिपोर्ट प्राप्त होने पर तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार पडौसी काश्तकारान को नोटिस दिये जाने के आदेश विचारण न्यायालय द्वारा जारी करते हुए अपीलाधीन निर्णय के जरिय प्रश्नगत भूमि इसी मुरब्बा के चिपते काश्तकारान द्वारा आवंटन हेतु उपस्थित नही होने के कारण मुरब्बा के चिपते काश्तकार रेस्पो0 सं. 1 को प्रश्नगत भूमि बतौर स्माल पैच आवंटित की गई, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।
2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रश्नगत भूमि पूर्व मे बतौर स्माल पैच अपीलांट को उपखण्ड अधिकारी नोहर द्वारा अपने आदेश क्रमांक 1074 दिनांक 16.06.89 से आवंटित की जा चुकी थी तथा आवंटन के रोज से ही प्रश्नगत भूमि पर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपीलांट काबिज रहकर काश्त करता आ रहा है एवं मौके पर भी अपीलांट का प्रश्नगत भूमि पर कब्जा काश्त है परन्तु आवंटन का इन्द्राज अभिलेख मे नही होने के कारण प्रश्नगत भूमि को पुनः स्माल पैच मे आवंटन हेतु उपलब्ध मानते हुए अपीलाधीन निर्णय के जरिये रेस्पो0 सं. 1 को विधिक प्रावधानो के विपरीत आवंटित करने मे त्रुटि की है। चक 6 जेबीडी के प.न. 35/5 कि.न. 3, 8, 13 पर अपीलांट का कब्जा होने एवं अभिलेख मे आराजीराज दर्ज होने के कारण रिपोर्ट पटवारी हल्का व तहसील के आधार पर ही दिनांक 16.06.89 को प्रश्नगत भूमि का आवंटन बतौर स्माल पैच अपीलांट को किया गया था एवं समस्त किश्ते भी अपीलांट द्वारा खजानाराज मे जमा करवा दी गई थी। परन्तु प.न. 35/5 कि.न. 14 जो किसी अन्य व्यक्ति को पूर्व से आवंटित था सहबन आवंटन आदेश मे कि.न. 13की जगह दर्ज हो गया जबकि अपीलांट का कब्जा कि.न. 3, 8, 13 पर शूरू से ही रहा ह एवं वर्तमान मे भी है। उक्त दूरूस्ती की कार्यवाही अपीलांट विधिक प्रावधानानुसार करने हेतु स्वतंत्र एवं तत्पर है जो नियमानुसार सक्षम न्यायालय मे कार्यवाही कर दुरूस्त करवाली जावेगी। अपीलांट का प्रश्नगत भूमि का दिनांक 16.06.89 का आवंटन आदेश आज दिनांक तक बहाल है तथा किसी सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नही किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा सेम मुरब्बा के काश्तकार को छोड़कर चिपते मुरब्बा वाले काश्तकार को आवंटित करने मे विधिक प्रावधानो का उल्लघन किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावें।

4. अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1 ने अपनी बहस में अपील मे वर्णित तथ्यों का खण्डन करते हुए कथन किया कि चक 6 जेबीडी के प.न. 35/5 कि.न. 3, 8, 13 आराजीराज थी जिसे बतौर स्माल पैच आवंटन हेतु रिर्पोट तहसील हल्का द्वारा विचारण न्यायालय मे भिजवाये जाने पर विचारण न्यायालय द्वारा पडौसी काश्तकारो को नोटिस जारी किया गया। नोटिस की तामील विधिवत रूप से करवाई गई चिपते हुए काश्तकार न्यायालय मे उपस्थित नही आने पर विचारण न्यायालय नियमानुसार कार्यवाही करते हुये प्रश्नगत भूमि को स्मालपैच मे आवंटन रेस्पो0 सं. 1 को करते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो सही पारित किया गया है। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने के कारण अपील खारिज की जावें।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

5. उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली का अवलोकन के उपरांत निष्कर्ष है कि अपीलांट प्रश्नगत भूमि के सेम/उसी मुरब्बा का काश्तकार है एवं राज0उप0 (ई.न. परियोजना भूमि आवंटन) नियम 1975 के नियमो के तहत बतौर स्मालपैच भूमि आवंटित करवाये जाने की पात्रता भी रखता है तथा प्रश्नगत रकबा पूर्व मे दिनांक 16.06.89 को अपीलांट को आवंटित भी किया गया परन्तु राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद नही हो सका। परन्तु तहसीलदार द्वारा अपनी रिपोर्ट मे प्रश्नगत रकबा मौके पर खाली है, किसी प्रकार का कोई विवाद आदि नही है, ना हर पूर्व मे आवंटन है आदि तथ्य अंकित किये है। परन्तु आवंटन आदेश दिनांक 16.06.89 के अनुसार प्रश्नगत रकबा अपीलांट को आवंटित किया गया है तथा अपीलांट उसी मुरब्बा का काश्तकार है। विचारण न्यायालय द्वारा तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट जो प्रश्नगत रकबा आवंटी है, को बिना सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर दिये अपीलाधीन आदेश पारित किया गया जिसकी पुष्टि किया जाना न्यायसंगत नही होने के कारण अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

6. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.06.2012 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि आवंटन प्रकरण मे उभय पक्ष को सुनवाई एवं कब्जे संबंधी साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए प्रश्नगत भूमि के संबंध मौके रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरांत पूर्व मे दिनांक 16.06.89 को किये गये आवंटन को मध्यनजर रखते हुए आवंटन नियमो के तहत प्रकरण का निस्तारण करें। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 25.06.2018 को उपस्थित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 25.05.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय मे लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(हरभान मीणा) आर..ए.एस
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official